राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

1.	2.	3.	4.
क्र. सं.	**अपील संख्या**	**अपीलार्थीगण का नाम**	**प्रत्यर्थी विभाग**
1.	91 / 2022	अरविन्द व्यास	1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक कम विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	92 / 2022	अजय कुमार बब्बर	
3.	6406 / 2021	लोकेन्द्र कुमार जैन	
4.	6189 / 2021	बृजेन्द्र कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक कम विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

आदेश की दिनांक : 11.10.2022

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री यादवेन्द्र सिंह जादौन एवं श्री अशोक बंसल अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

उपर्युक्त समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं चाहा गया अनुतोष समान प्रकार के हैं और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 91 / 2022 अरविन्द व्यास के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के तकनीकी अधिकारियों (सिविल सवंर्ग तथा पर्यावरण एवं ठोस कचरा प्रबन्ध सवंर्ग) की पदोन्नति एवं पूर्व में की गयी पदोन्नति को रिव्यू किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2022 को बैठक

सूचना जारी की गयी है। उनका तर्क है कि पूर्व में अपील संख्या–3136/2022 एवं 4740/2022 में यह अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि उक्त अपील के अपीलार्थी की आपत्तियों को नियमानुसार निस्तारित करने के पश्चात् ही डीपीसी की बैठक आयोजित की जावे। वर्तमान अपीलार्थीगण की आपत्तियों का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है और डीपीसी की बैठक आयोजित की जा रही है, जो नियम विरूद्ध है एवं न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करावें।

विपक्षी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि बैठक नियमानुसार आयोजित की जा रही है, जिसको रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

वर्तमान में अपीलार्थीगण के समान अन्य अपील संख्या 3136/2022 एवं 4740/2022 में यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त अपील के अपीलार्थी की आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् ही डीपीसी की बैठक का आयोजन किया जावे। वर्तमान में अपीलार्थीगण की आपत्तियों का निस्तारण नहीं होना बताया गया है और डीपीसी की बैठक आयोजित की जा रही है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि वर्तमान चार अपीलों के अपीलार्थीगण की आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् ही डीपीसी की बैठक नियमानुसार आयोजित की जावे।

उक्त आदेश के साथ ये समस्त अपीलें निस्तारित की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 91/2022 में एवं तालिका में अंकित अपीलों में छाया प्रतियां संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R